



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।


पत्रांक: 232/जनसम्पर्क / 2020-21

दिनांक : 05/10/20

समस्त अनुभागाधिकारी,

प्रायः देखने में आ रहा है कि प्राधिकरण के कार्यकलापों (अवैध निर्माण, पानी सीवर आदि) से सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों की कटिंग पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित की जाती है जिस पर सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों में की गयी कार्यवाही/प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों की कटिंग पर अद्यतन प्रगति से आदेशित दिनांक से विलम्बतम एक सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।


02/10/2020

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।